



सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर—272202 उ०प्र०(भारत)

Website :www.suksn.edu.in, Email Id: coe@suksn.edu.in

अतिमहत्वपूर्ण/अतिशीघ्र सूचना

दिनांक 12-08-2026

पत्रांक— 5774/सि०वि०वि०/प०सा०/2026

सेवा में,

- 1—समस्त विभागाध्यक्ष/प्रभारी (परिसर)
सिद्धार्थ वि०वि० कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर
- 2—समस्त प्राचार्य/प्रबन्धक
सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

विषय— रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अन्तर्गत सम्भावित आच्छादित मेधावी छात्राओं से निम्नवत् सूचना प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अन्तर्गत आच्छादित सत्र 2025-26 स्नातक अन्तिम वर्ष में कुल उत्तीर्ण छात्राओं में से 10 प्रतिशत टापर के सम्बन्ध में निम्न सूचनाएं शासन को प्रेषित की जानी है—

- 1— छात्रा का नवीनतम (01 जून, 2026 के बाद का) रू० 12,00,000.00 वार्षिक से कम का पारिवारिक आय प्रमाण-पत्र।
- 2— उत्तर प्रदेश का निवासी होने का प्रमाण-पत्र।
- 3— आधार कार्ड नम्बर एवं उससे लिंक मोबाइल नम्बर।
- 4— अपार आई०डी०/ए०बी०सी०आई०डी०
- 5— दिव्यांग श्रेणी के अन्तर्गत छात्राओं का दिव्यांग प्रमाण-पत्र तथा निराश्रित छात्राओं हेतु निराश्रित होने का प्रमाण-पत्र पोर्टल पर अपलोड करें।

उक्त सूचना विश्वविद्यालय के STUDENT CORNER पर दिये गये लिंक (LINK) रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना पर सम्बन्धित छात्राओं द्वारा पूरित की जानी है। उक्त लिंक पर छात्राओं द्वारा अपना इनरोलमेन्ट नम्बर एवं अनुक्रमांक डालकर डाटा ओपेन (OPEN) होने के बाद सूचना प्रेषित करने का कष्ट करें।

जिन छात्राओं का इनरोलमेन्ट नम्बर एवं अनुक्रमांक से डाटा ओपेन नहीं हो रहा है वे छात्राएं कुल उत्तीर्ण 10 प्रतिशत टापर में सम्मिलित नहीं हैं।

नोट— सभी महाविद्यालय सत्र 2025-26 स्नातक अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत छात्राओं से डाटा पूरित करवाना तत्काल सुनिश्चित करें। यदि उपरोक्त डाटा अप्राप्त होता है तो योजना का लाभ सम्बन्धित छात्राओं को प्राप्त नहीं हो सकेगा। पूरित सूचना के आधार पर शासन के निर्देश के क्रम में निर्धारित मापदण्ड के अन्तर्गत इन्हीं 10 प्रतिशत टापर से लाभार्थियों का चयन किया जायेगा।

भवदीय

परीक्षा नियंत्रक

पत्रांक— 5774/तददिनांकित।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कुलसचिव/वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. समस्त संकायाध्यक्ष, सिद्धार्थ वि०वि० कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3. डॉ० अविनाश प्रताप सिंह, मीडिया प्रभारी/जनसम्पर्क अधिकारी, सि०वि०वि०क०,सि०
4. निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं महाविद्यालयों के कालेज लॉगिन पर अपलोड करते हुए आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित पत्रावली में संरक्षित हेतु।

परीक्षा नियंत्रक